



F.2(26)DME/Gen/PCPNDT/2014/Part-1/ 1095

dated 13/12/2021

### परिपत्र

चिकित्सा शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/3456 दिनांक 25.08.2015 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) ( 6 मासिक प्रशिक्षण) नियम 2014 के नियम 13 के अन्तर्गत Competency Based Test के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/ न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुये परीक्षा संबंधी समस्त प्रक्रिया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा करवायी जायेगी।

[गौरव चतुर्वेदी ]

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव

F.2(26)DME/Gen/PCPNDT/2014/Part-1/ 1095

dated 13/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान,।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, जयपुर।
- 6 परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीवीआई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 8 कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर।
- 9 चैयरमैन, नीट पी.जी एडमिशन बोर्ड 2020 एवं प्रधानाचार्य, राजकीय डेन्टल कॉलेज, जयपुर।
- 10 विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 11 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर।
- 12 डीन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।
- 13 Sr. Professor concerned from Radio-diagnosis/Obstetrics and Gynecology SMS medical college, Jaipur.
- 14 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ 3456

जयपुर, दिनांक :

परिपत्र

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-3 उपखण्ड (i) के तहत जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F-2(26)DME/GenSec/PC-PNDT/2014 दिनांक 5.9.2014 के निरन्तर में छः माह का प्रशिक्षण "The Fundamentals in Abdomino-Pelvic Ultrasonography : level one for MBBS doctors" प्राप्त करने के बाद योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग को independent examiner नियुक्त किया जाता है। independent examiner उक्त अधिनियम एवं गजट नोटिफिकेशन के अर्न्तगत उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रशिक्षणार्थियों का Knowledge based एवं skill based एसेसमेन्ट कर योग्यता प्रमाणित करेंगे तत्पश्चात संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-3 उपखण्ड (i) के तहत उपलब्ध प्रावधानों की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे।



(सम्पत मल लोढा)  
उपशासन सचिव

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ 3456

जयपुर, दिनांक : 25/8/2015

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, सरकार
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवायें, राज. जयपुर
04. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
05. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
06. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, (RUHS) जयपुर
07. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
08. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा
09. प्रभारी राज्य पी सी पी एन डी टी सैल, स्वा. एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर
10. श्री पी पी तिवारी, सहा.प्रो. वेबसाइट अपडेट हेतु।
11. रक्षित पत्रावली ।



सहायक शासन सचिव